पुनः संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम :- माँ वैष्णो देवी शिक्षा समिति

2. संस्था का पता :- ग्राम–पूरे कीरत सिंह, पोस्ट–गोड़वा, तहसील–सोहावल, जिला–फैजाबाद

3. संस्था का कार्यक्षेत्र :- सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों का वर्ग :-

संरक्षक सदस्य :- जो व्यक्ति संस्था को निःस्वार्थ भाव से एक बार में 1,00,000/–रूपया नगद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति चल या अचल रूप में प्रदान करेगा वह संस्था का संरक्षक सदस्य कहलायेगा।

आजीवन सदस्य :- जो व्यक्ति संस्था को निःस्वार्थ भाव से एक बार में 51,000/–रूपया नगद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति चल या अचल रूप में प्रदान करेगा वह संस्था का आजीवन सदस्य कहलायेगा।

सामान्य सदस्य :- जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 2100/–रूपया सालाना चन्दा प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा, अगले वर्ष जो सदस्य धनराशि प्रदान नही करता समिति से उसको वंचित कर दिया जायेगा।

देवीलाल वर्मा
प्रबन्धक
माँ वैष्णो देवी कालेज आफ फार्मेसी
पूरे कीरत सियाराम नगर (गोड़वा) अयोध्या

5. सदस्या की समाप्ति :-
1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3. संस्था के प्रति हानि कर कार्य करने पर।
4. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग–मत्र पारित होने पर।
5. नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
6. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।
7. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।

रामलखन वर्मा
सचिव
माँ वैष्णो देवी शिक्षा समिति
ग्राम–पूरे कीरत सिंह
पो०–गोड़वा
जिला फैजाबाद–उ०प्र०

1. धर्मेन्द्र कुमार वर्मा
2. प्रदीप कुमार वर्मा

देवीलाल
अध्यक्ष / प्रबन्धक
माँ वैष्णो देवी शिक्षा समिति
ग्राम–पूरे कीरत सिंह
पो०–गोड़वा
जिला फैजाबाद–उ०प्र०

Scanned with CamScanner

6. संस्था के अंग :– 1. साधरण सभा 2. प्रबन्धकारिणी समिति।

7. साधारण सभा :–

गठन :– संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठके :– साधरण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि :– साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में एजेण्डा से की जायेगी।

गणपूर्ति :– साधारण सभा के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी परन्तु स्थगित गणपूर्ति के अभाव में एक बैठक स्थगित होने पर पुनः बुलाई गयी दूसरी बैठक में गणपूर्ति का प्रतिबन्ध न होगा।

वार्षिक अधिवेशन :– साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

साधारण सभा के कर्तव्य :–
1. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
3. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
4. संस्था के नियमों में संशोधन प्रक्रिया करना।

प्रबन्धक
माँ वैष्णो देवी कालेज आफ फार्मेसी

8. प्रबन्धकारिणी समिति :–

गठन :– साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा, जिसमें अध्यक्ष/प्रबन्धक एक, उपाध्यक्ष एक, कोषाध्यक्ष एक सचिव एक, तथा सदस्य सहित कुल संख्या 11 होगी, ज

सचिव
माँ वैष्णो देवी शिक्षा समिति
ग्राम–पूरे कीरत सिंह
पो०–गोड़वा
जिला फैजाबाद–उ०प्र०

अध्यक्ष / प्रबन्धक
माँ वैष्णो देवी शिक्षा समिति
ग्राम पूरे कीरत सिंह
पो०–गोड़वा
जिला फैजाबाद–उ०प्र०